

क्रमांक 30/ 14/ 80-एस० नं. का एक अधिकारीय सेवायों की लिखी-दिल्ली-06/लिखि-

प्रेषक दिल्ली-लिखि

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

आयुक्त, अम्बाला/हिसार मण्डल,

सभी उपायुक्त तथा अप-मण्डल अधिकारी।

दिनांक चण्डीगढ़ 23 मई, 1980

विषय :—इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने वारे नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र दिनांक 1430-3 एस०-71/ 5968 दिनांक 30-3-71 क्रमांक 2390-3 एस०-72, 10913 दिनांक 19-4-1972 तथा क्रमांक 3062-3 एस०-73 दिनांक 14-8-1973 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उप-मण्डल अधिकारियों (ना०), उपायुक्तों एवं मण्डल आयुक्तों द्वारा टिप्पणी रिकार्ड करने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा पुनः विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कथित सिविल अधिकारी, इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में अपनी टिप्पणी नहीं लिखेंगे। यह निर्णय वर्ष 1980-81 के लिए लिखी जाने वाली रिपोर्टों से लागू होगा। इस विषय पर समय समय पर जारी की गई सभी हिदायतों को तदानुसार संशोधित करना चाहिए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

उप सचिव, राजनीतिक एवं सेवाएं  
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 30/ 14/ 80-एस० दिनांक चण्डीगढ़ 23 मई, 1980

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

प्रमुख अधियन्ता, लोक निमणि (भवन तथा सड़क), प्रमुख अधियन्ता, लोक निमणि (सिचाई); प्रमुख अधियन्ता, लोक निमणि (जन स्वास्थ्य)।